



POSH (Prevention of sexual harassment at Workplace)

Disclaimer

Unauthorized use, reproduction, or distribution of this organization's logo, documents, policies, images, or any other visual or textual content is strictly prohibited. Such misuse constitutes a violation under the Copyright Act, 1957 and may result in legal action.

All materials on this website are the intellectual property of the organization and are intended solely for informational and non-commercial use.

POSH

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (संरक्षर, रोक व सहायता) अधिनियम 2013

महिलाओं के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन हिंसा रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश।

कार्यस्थल — वह स्थान जहां पर पीड़ित महिला और आरोपी दोनों काम करते हैं, या काम के सिलसिले में समय-समय पर आते जाते हैं। इसके अन्तर्गत सभी सरकारी सार्वजनिक व नीजी प्रतिष्ठान आते हैं।

यौन उत्पीड़न — कामकाजी महिला के साथ कार्यस्थल में किसी पुरुष सहयोगी का ऐसा व्यवहार जो उस महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन भावना से संचालित किसी भी व्यवहार या हरकत का कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना माना जाएगा।

- जबरदस्ती शारीरिक सम्पर्क बनाने की कोशिस करना।
- यौन सम्बन्ध बनाने की मांग दबाव डालना या कोई याचना करना।
- आपत्तिजनक टिप्पणी चुटकुले, ताने, दोहरे अर्थ के संवाद व गाली देना।
- अश्लील चित्र या ई मेल करना।
- तरक्की जैसे मोको को यौन सम्बंध से जोड़कर दबाव बनाना।

आन्तरिक शिकायत समिति —

दिनांक 26 अगस्त 2016 को अर्पण की आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था वर्तमान में वर्ष 2024 से समिति में निम्न सदस्य हैं।

नेहा पाल	संस्था की वरिष्ठ जेन्डर विशेषज्ञ	9258026158
बीना सौन	वाह्यय तीसरा पक्ष विशेषज्ञ	9760165832
निर्मल चौधरी	वाह्यय तीसरा पक्ष विशेषज्ञ	9412996356
मंगल ग्वाल	संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता	9105409674
रेनू आर्या	संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता	7895132243

घटना की शिकायत व घटना का पूरा ब्यौरा लिखित रूप में 15 दिन के भीतर शिकायत समिति को दी जानी चाहिए।

यदि महिला किसी कारण अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहे तो उसे गोपनीय रखा जाएगा।

